कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/ 2587 जबलपुर, दि. 28.09.2020

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश क्रमांक सी-6/एम.आर./ 2020/645 भोपाल दिनांक 11.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) को अधिगृहित करते हुये निर्णय लिया गया है कि कंपनी के अधिकारी /कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य, जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते है, के इलाज हेतु म.प्र. के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉच / उपचार एवं दवाईयॉ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

शासन द्वारा राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर अपलोड है।

इस हेतु म.प्र.पॉ.जन.कं.लिमि. के मुख्यालय व रानी अवंती बाई सागर जल विद्युत, बरगीनगर के कार्यरत कार्मिकों व उनके आश्रित सदस्यों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एम.पी.पॉ.मैने.कं.लि., जबलपुर एवं अन्य ताप/जल विद्युत गृहों के कार्मिकों व उनके आश्रित सदस्यों के लिए म.प्र.पॉ.जन.कं.लिमि. के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा देयकों के परीक्षण/ प्रतिहस्ताक्षर उपरांत नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर ही लागू होगी।

आदेशानुसार

(एस.एम. सोलापुरकर)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

पृ.क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/ मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/ 2588 जबलपुर, दि. 28.09.2020

प्रतिलिपि : -

1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/ (सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।

क्रमशः:2

2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/ श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
3- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैनेमेंट कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. / म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि, जबलपुर/ भोपाल/ इन्दौर ।
4- मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
5- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
6- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
7- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा/सिरमौर/बरगीनगर।
10- अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/ बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना ।
11- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संधा.वृत्त), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
12- वरिष्ठ लेखाधिकारी, (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
13- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगांताविगृह/ अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
14- निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक(तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।
15. सहा.अभि.(आई टी), वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

(पी.के. जैन)
संयुक्त सचिव
कार्या.मुख्य अभि.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

D:\SRC UNICODE\ MEDI\ ORD

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमाक–सी–6 / एम.आर. / 2020 / 645 भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय:– **शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड–19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।**

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड–19 से संक्रमित होते हैं। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉच / उपचार एवं दवाईयॉ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड–19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड–19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागु होगी। जिसका बिन्दुवार पत्रक संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
द्वारा अनुमोदित

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरतंर –2

(29)

पृ. कंमाक– सी–6/एम.आर./2020/646 भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रतिलिपि:– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
4. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. निज सहायक, संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र.।
6. निज सहायक, संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
7. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एमआईएस, स्थानीय कार्यालय उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड–19 महामारी संक्रमण हेतु जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निशुल्क उपचार का हकदार है ?	हॉ (म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम 4 (1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय में निशुल्क उपचार का हकदार होगा। यथा– प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल , बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
2.	राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची क्या विभाग की वेबसाईट पर अपलोड है ?	**हॉ (वर्तमान में 101 निजी संस्थाओं को** मान्यता प्राप्त है। सूची विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है)
3.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु रैफरल की आवश्यकता होगी ?	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रैफरल की आवश्यकता नहीं होगी) यथा– प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
4.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी ?	**नहीं** (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी) यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।

5.	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रकिया क्या है ?	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रकिया राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये रैफरल हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल किया जायेगा। मेड़िकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें हेतु रेफरल किया जायेगा जो जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होगी।
6.	फालोअप उपचार अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाती एवं कितने समय के लिये प्रदान की जाती है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को फालोअप उपचार अनुमति सिविल सर्जन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा 6 माह के लिये प्रदान की जाती है।
7.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयो में चिकित्सा अग्रिम की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। (परिपत्र कमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
8.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम/अनुमति/फालोअप अनुमति वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें हेतु निजी चिकित्सालय में रैफरल किया जायेगा जो शासकीय जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जांच/उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। (परिपत्र कमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
9.	निजी चिकित्सालयों (द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों) की मान्यता की प्रकिया ?	निजी चिकित्सालयों को शासकीय मान्यता हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करना होता है। आवेदन फार्म http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। उन्हीं निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी जायेंगी जिन्हें National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) द्वारा अधि

		मान्यता दी गई हो। निजी चिकित्सालयों को मान्यता हेतु NABH को एक वर्ष में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।
10.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के आकस्मिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक स्थिति में उपचार के लिये मान्यता प्राप्त संस्थाओ एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उपचार करा सकते है। इस हेतु उपचार उपरांत उन्हें कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी इस विषय में म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिपत्र कमांक एफ 9–2/2006/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 20/02/2006 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर गठित प्राईवेट निजी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जो निजी संस्थाओं में उपचार उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते है। (परिपत्र कमांक 9–2/2006/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 20/02/2006) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है।
11.	म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 अनुसार मरीज के भर्ती की स्थिति में	1. ऑक्सीजन देने में हुआ सम्पूर्ण व्यय। 2. वार्ड या कमरे का किराया में व्यय शामिल होगा, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाले कर्मचारियों के मामले में सम्पूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत। 3. रूधिराधान के लिए रक्त खरीद पर हुआ व्यय। 4. शल्य किया तथा रोग संबंधी (पैथोलॉजिक) जीवाणु सम्बनधी, रेडियोलाजिकल एवं अन्य परीक्षण जो कि प्राधिकृत चिकित्सकीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाए और प्रमाणित किये जाएँ, किया गया नूर्ण व्यय।
12	वर्तमान कोविड–19 संक्रमण की महामारी को ध्यान में रखते हुये कोरोना वायरस से संक्रमित समस्त शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 101 निजी चिकित्सालयों में कराया जा सकता है ?	आकस्मिकता की स्थिति में कोविड–19 आपदा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति संभागीय कार्योत्तर स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जायेगी।

13	क्या शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य वर्तमान कोविड–19 संक्रमण इलाज हेतु अशासकीय (गैर मान्यता प्राप्त) निजी चिकित्सालय में जा सकते है ?	हॉ। आकस्मिकता के आधार पर मरीज जा सकता है परंतु ऐसे प्रकरणों पर अपने विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा उसके पश्चात ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत कर सकता है।
14	क्या शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य वर्तमान कोविड–19 संक्रमण इलाज हेतु अशासकीय (गैर मान्यता प्राप्त) निजी चिकित्सालय में जहॉ पर कोविड–19 जांच/उपचार की दरें निर्धारित नहीं है क्या वहां उपचार कराया जा सकता है ?	हॉ। आकस्मिकता के आधार पर
15	क्या म.प्र. शासन द्वारा आपदा कोविड–19 हेतु दरें निर्धारित है ?	हॉ। आयुष्मान भारत निरामय योजना के अन्तर्गत दरें निर्धारित है। निर्धारित दरों पर ही निजी चिकित्सालय अपनी सेवायें दे रहें है।
16	क्या म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य वर्तमान कोविड–19 संक्रमण इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉच/उपचार एवं दवाईयॉ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी ?	हॉ। म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड–19 से संक्रमित होते है। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉच/उपचार एवं दवाईयॉ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड–19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड–19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागु होगी। (आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के परिपत्र कमांक IDSP/2020/1504 Bhopal 04/09/2020 के परिपालन में।)

<u>अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ. संतोष जैन)
अपर संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश